P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-IV*December-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

रेलवे में महिलाओं पर होने वाले अपराध : रायपुर रेलवे मण्डल के परिपेक्ष्य में एक अध्ययन

शिव कुमार कुर्रे
शोधार्थी,
विधि अध्यनशाला विभाग,
पं0 रवि शंकर शुक्ला वि0वि0,
रायपुर, छ.ग.

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य रायपुर रेलवे मण्डल में महिलाओं के विरूद्ध रेलवे सफर व स्टेशन परिसर में हो रहे अपराधों की कारणो व उनके रोकथाम पर पूर्णतः आधारित है। यह शोध पत्र में तथ्यों का संकलन प्राथमिक व द्वितीयक पद्धति से लिया गया है। प्राथमिक तथ्यो के संकलन के लिये रायपुर रेलवे मंडल में 100 यात्रियों से प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त तथ्य में महिलाओं के उपर अश्लील हरकत (छेड़खानी) प्रथम स्थान के साथ अपराध सबसे ज्यादा होता है एव दूसरे स्थान पर चोरी व तीसरे स्थान पर चैन स्नैचिंग तथा अन्य अपराध जैसे– हत्या, जहर खुरानी, बलात्कार, अपहरण / व्यपहरण, महिला तस्करी में कमी पायी गयी है।

मुख्य शब्द : महिला सुरक्षा, रेलवे में अपराध, रायपुर रेलवे मण्डल।

प्रस्तावना

जेम्स ड्रेवर के अनुसार "अपराध का अर्थ नियमो के खिलाफ किया गया गम्भीर दुर्व्यवहार है जो दण्डनीय होता है।"

" सभ्य समाज में आज महिलाओं के विरूद्ध अपराध जैसे–दुष्कर्म, हत्या, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी, अपहरण/व्यपहरण, दहेज हत्या, महिला तस्करी जैसे अपराधों की एक लम्बी कतार सी हो गई जिससे छुटकारा पाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। किन्तू इन अपराधों को रोकने के लिए सरकारी गैर सरकारी अपराध ब्यूरो व महिला आयोग तथा समाज सेवी संस्था भी निष्फल शाबित हो रही है।

"**स्त्री शिक्षा उन्हे आत्म रक्षा और आत्म बल को उत्पन्न कर सकती है**।"[1] यह कथन व अवधारणा शिक्षा शास्त्री विवेकानंद जी का था। जिन्होने यह माना था कि सभ्य समाज में स्त्रियों की दशा व दिशा शिक्षा की ओर न हो तो वह अपने अधिकारो व स्वयं पर हो रहे जुल्मो व अपराधों से छुटकारा नहीं पा सकेगी। लेकिन आज जीन शिक्षा की बात करते है उसकी प्राप्ती के लिए विभिन्न समाजिक समस्या उत्पन्न होती रही है। उनमे से एक रेलवे अपराध भी है। भारत देश में अधिकांश लोग गाँव में निवास करते है और उन्हे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांवो से दूर शहरो में जाना पड़ता है जिसका एक मात्र साधन रेलवे व बसे है। रेलवे व बसो में लड़की व महिलाओं के उपर छेड़खानी, फब्तियाँ करने वालो की कमी नही इस प्रकार की समस्याओं के कारण गांव की कुछ लड़कीयों की पढ़ाई बीच में ही बंद करा दी जाती है, ऐसी स्थिति में शिक्षा शास्त्री विवेकानंद जी का भी कथन पूर्ण होने से पहले रूक जाती है।

महिलाओं की स्थिति सुधार करने के लिये विभिन्न कानून बनाने से ही उन पर होने वाले अपराधों में सुधार की कामना नही किया जा सकता सुधार के लिये हमे अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। जिसे भारतीय दण्ड संहिता के लैटिन सूत्र (Actus non facit reum nisi mens sit rea) इस सूत्र के अनुसार " कार्य स्वयं किसी को दोसी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय वैसा न रहा हो। " जब तक लोगो के बीच अपने और पराये में अन्तर बना रहेगा तब तक महिलाओं कि स्थिति में समानता व अपराधों से मुक्ति संभव नही है। क्योंकि हम सब पुरूष वर्ग अपनी सोंच में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना नही लायेंगे तो सभ्य समाज कि कामना काल्पनिक ही रहेगी। आज पुरूष वर्ग पचास साल के उम्र होने के बावजूद भी कम उम्र की लड़की को देखकर निगाहों में चमक आ जाती है, क्यों उस लड़की में अपनी बेटी का रूप नही देखता। वैसे ही एक पन्द्रह साल का किशोर भी अपने से बड़ी उम्र की महिला को देखकर फब्तियाँ मारने से बाज नही आता। आखिर क्यो ? वह अपने माँ बहन को सुरक्षा पहुँचाने के लिये बाडीगाड बन सकता है किन्तू सड़क पर चल रही अन्य महिलाओं और लड़कियों को देखकर छेड़ने से बाज नही आता। यहाँ तक रेलवे

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-IV*December-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

या बसो में यात्रा कर रही महिलाओं व लड़कियों को छुने व अश्लील हरकत करने से नही चुकते है। आखिर क्यो ?[2]

"आज समाज के माननीय समाजिक वैज्ञानिको नें चल रहे विभिन्न प्रकार की समाज में व्याप्त बुराईयो (कुरूतियों) का अध्ययन किया गया है और इस पर कोई राय नही है। न्यायिक समाजिक वैज्ञानिको के द्वारा राजनैतिक प्रकिया द्वारा स्थापित नियमो का उल्लंघन करना ही अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी के द्वारा जानते व समझते हुए नियमो का उल्लंघन किया जाता है तो वह उल्लंघनकर्ता अपराधी कहलाता है।[3]

अध्ययन का उद्देश्य

1. रायपुर रेलवे मण्डल में यात्रा के दौरान व रेलवे परिसर में महिलाओं पर हो रहे अपराधों का पहचान करना।
2. महिलाओं पर हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिये रणनीती प्रस्तुत करना।

साहित्यो का पुनरावलोकन

महिलाओं पर होने वाले अपराधों की सुरक्षा की पोल आये दिन दैनिक अखबार में पढ़ने को मील जाती है। आज समाचार पत्रों में हर दिन रेलवे में महिलाओं पर हो रहे अपराधों की खबर पढ़ने को मिलती है, हर तरफ महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़होतरी हो रही है। इस शोध पत्र में ऐसे खबर जो राज्य सभा प्रश्नोत्तरी, पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली, दैनिक समाचार पत्र, नव भारत 15 जून 2016 पेज 8, नई दुनिया 15 जून 2016 पेज संख्या 4, नवभारत 28 अप्रैल 2016, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, मानव अधिकार, रेलवे वार्षिक रिपोर्ट, पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली 11 मार्च 2016, 9 दिसम्बर 2015 आदि का अध्ययन किया गया है।

परिकल्पना

1. रायपुर रेलवे मण्डल में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है।
2. महिलाओं में अपराध बढ़ने से यात्रा करने से डरते है।
3. रायपुर रेलवे मण्डल में सुरक्षा की कमी है।

अध्ययन का क्षेत्र

रायपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तीन मण्डलो (बिलासपुर, रायपुर, नागपुर) में से रायपुर रेलवे मण्डल एक है। रायपुर रेलवे मण्डल के अन्तर्गत 28 रेलवे स्टेशन आते है।[4] अध्ययन की दृष्टि से रायपुर जक्शन को चुना गया है।

शोध विधि तंत्र

प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्य संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर किया गया है। प्राथमिक तथ्य के लिए रायपुर रेलवे मण्डल में से रायपुर जक्शन से 100 यात्रियों से प्रश्नावली के माध्यम से तथ्य संकलन किया गया है। और द्वितीयक तथ्य संकलन के लिए पुस्तक, पत्रिका, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से सहायता लिया गया है

तालिका कमांक –1

रेलवे पुलिस द्वारा महिला अपराध रोकने में सक्षमता

क्र.	सक्षमता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	48	48
2.	नहीं	52	52
	योग	100	100

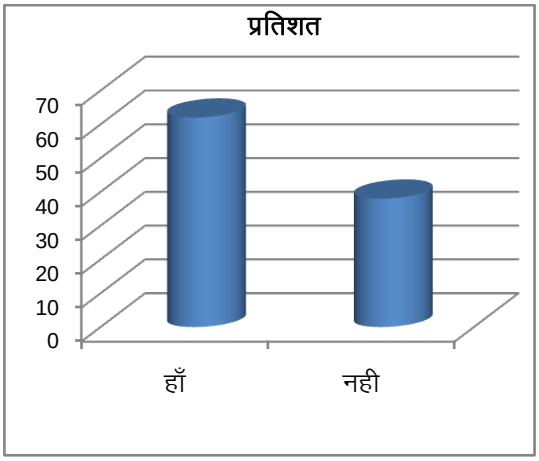

रायपुर रेलवे मण्डल से उत्तरदाताओं से रेलवे पुलिस द्वारा महिला अपराध रोकने मे सक्षमता की जानकारी लेने पर अधिकतर 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं की सहमती है। एवं 52 प्रतिशत यात्रियों ने असहमति व्यक्त की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में रायपुर रेलवे मंडल में रेलवे पुलिस द्वारा महिलाओं के उपर हो रहे अपराध की रोकथाम में कमी पायी गयी है।

तालिका कमांक –2

महिला पुलिस बल व्यवस्था

क्र.	व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	62	62
2.	नहीं	38	38
	योग	100	100

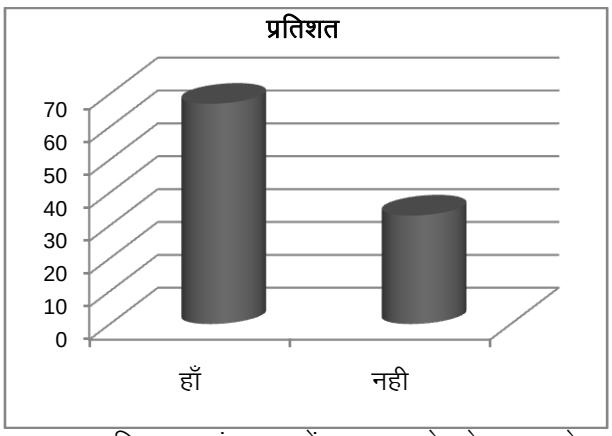

तलिका कमांक 02 में नजर डाले तो यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिये पर्याप्त महिला पुलिस बल है की नहीं जिसमें उत्तरदाताओं की 62 प्रतिशत सहमति है एवं 38 प्रतिशत यात्रियों द्वारा यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा बल की संख्या में कमी बतायी गई।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-IV*December-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका क्रमांक –3
रायपुर जक्सन में महिलाओं के विरूद्व अपराध

क्र.	अपराध	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	67	67
2.	नहीं	33	33
	योग	100	100

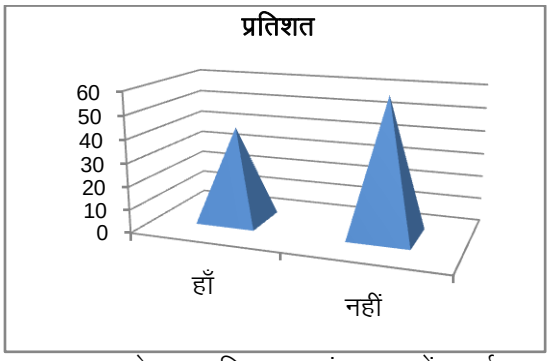

उपरोक्त तालिका क्रमांक 03 में दर्शाया गया आंकडा रायपुर रेलवे जक्सन में यात्रियों के माध्यम से क्या महिलाओं पर अपराध होता है के प्रश्न में उत्तरदाताओं ने 67 प्रतिशत अपराध होने की सहमती दी हैं। जबकि 33 प्रतिशत यात्रियों में असहमति व्यक्त की है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रायपुर जक्सन में महिलाओं के उपर अपराध होता है।

तालिका क्रमांक –4
रायपुर रेलवे स्टेशन में महिला सुरक्षा बल की पर्याप्ता

क्र.	सुरक्षा बल	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	41	41
2.	नहीं	59	59
	योग	100	100

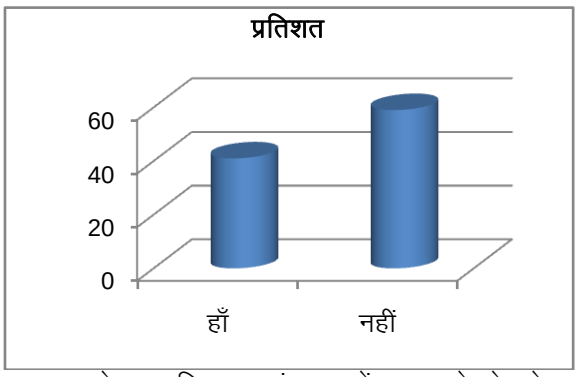

उपरोक्त तालिका क्रमांक 04 में रायपुर रेलवे स्टेशन में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान देने के लिए महिला पुलिस बल की संख्या में 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा असहमति व्यक्त कि गई है जबकि 41 प्रतिशत यात्रियों का कहना है कि कमी नहीं है।

तालिका क्रमांक –5
रेलवे यात्रा के दौरान महिलाओं पर होने वाले अपराध

क्र.	अपराध का स्वरूप	संख्या 10 में	अधिकतम संख्या 10 में से
1.	अश्लील हरकत	10	10
2.	बलात्कार	10	02
3.	चैन स्नैचिंग	10	08
4.	चोरी	10	09
5.	जहर खुरानी	10	02
6.	यौन उत्पीडन	10	08
7.	हत्या	10	02
8.	अपहरण/व्यपहरण	10	01
9.	महिला तस्करी	10	04

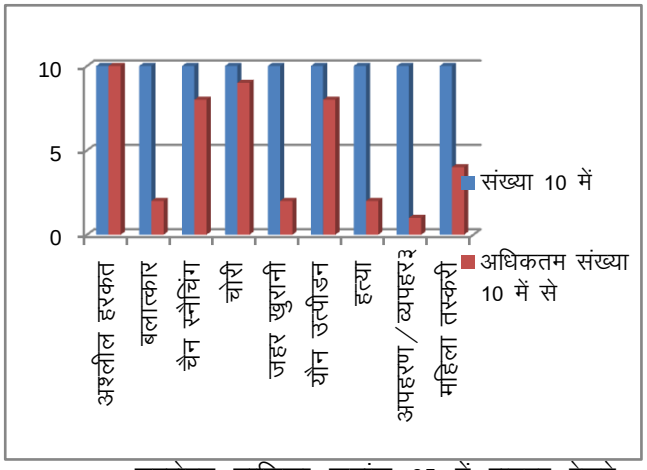

उपरोक्त तालिका क्रमांक 05 में रायपुर रेलवे मंडल में होने वाले अपराधों को यात्रियों से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी संकलन में सबसे ज्यादा अपराध अश्लील हरकत है जिसमे उत्तरदाताओं ने 10 में से 10 अंक दिये है। और दुसरे स्थान पर चोरी है तथा तीसरे स्थान में 8 अंक के साथ चैन स्नैचिंग का अपराध है। साथ ही क्रमशः यौन उत्पीड़न, महिला तस्करी, बलात्कार, हत्या, जहर खुरानी, एवं सबसे कम अपहरण व व्यपहरण है।

विश्लेषण

महिलाओं को रेलवे यात्रा के दौरान व रेलवे परिसर में छेड़खानी, हत्या, अपहरण/व्यपहरण, चोरी, चैन स्नैचिंग, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, जैसे विभिन्न अपराधों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक आंकड़ो के संकलन के लिए रायपुर रेलवे मण्डल में 100 यात्रियों से प्रश्नावली के माध्यम से रेलवे यात्रा के दौरान महिलाओं पर अपराध तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त किया गया जिसमे संयुक्त रूप से 54.5 प्रतिशत यात्रियों का मानना है कि रायपुर रेलवे मण्डल में महिला सुरक्षा बल तथा महिलाओं पर हो रहे अपराध में कमी हुयी है। वहीं 45.5 प्रतिशत यात्रियों का मत है कि महिलाओं की सुरक्षा में कमी है एवं महिला सुरक्षा बल रायपुर रेलवे मण्डल में अपर्याप्त है। रायपुर रेलवे मण्डल में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के निवारण एवं महिला सुरक्षा की दिशा में अनेक प्रयास किये गये है जैसे– सी सी टी वी

कैमरा की व्यवस्था, हेल्पलाईन नम्बर, महिला सुरक्षा बल की तैनाती आदि अनेक कार्य अपराध को रोकने के लिए किया जा रहा है। जिससे महिलाएँ निश्चिन्त होकर यात्रा कर पा रहीं है।

अध्ययन उपरांत परिणाम

रायपुर रेलवे मण्डल में पर्याप्त मात्रा में रेलवे सुरक्षा बल की पूर्ति की जा रही है। अधिकतर महिलाएँ स्वयं के उपर होने वाले अश्लील टिप्पणी व अपराधों की शिकायत नही कर पाती है इस कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ने लगता है और पुनः ऐसे अपराधी अन्य अपराधों की ओर उन्मूख हो जाते है। रायपुर रेलवे मण्डल में सिर्फ दो रायपुर व दुर्ग स्टेशनो में सी सी टी वी कैमरा की सुविधा है बाकी अन्य छोटे स्टेशनो जैसे भाटापारा, तिल्दा, मांढर, सिलयारी, मंदिर हसौद, गुण्डरदेही, बालोद, अभनपुर, भिलाई आदि स्टेशन में सी सी टी वी की व्यवस्था नही है जिस कारण अनाधिकृत व्यक्तियों का आना जाना होता रहता है जो अपराधों का प्रायः मुख्य कारण होते है।

प्रभाव

1. अधिकांश महिलाएँ रेलवे में सफर करने से कतराती है।
2. महिलाएँ सम्मान के डर से उचित रूप से अपराधियों के प्रति विरोध करने में संकोच करती है जो अपराध बढ़ने का एक कारण है।
3. सी सी टी वी कैमरा की व्यवस्था में कमी होने के कारण अपराधिक गतिविधियाँ कैमरे में कैद नही हो पाती और अपराधी अपराध को अंजाम देने में सफल हो जाता हैं।
4. लडकियों को अपनी उच्च शिक्षा बीच में ही छोडनी पड़ जाती है।

निष्कर्ष

आज हर तरफ महिलाओं के उपर कहीं भी सड़को, बसो में अपराध हो रहे है उसी तरह भारतीय रेलवे के रायपुर मण्डल में भी अपराध देखने को मिलता है। आज महिलाओं को अश्लील टिप्पणीयाँ, फब्तियाँ, लैंगिक उत्पीड़न से लगभग प्रतिदिन सामना करना पड़ता है ऐसे अपराधों के रोकथाम के लिये रेलवे स्टेशनो में शासकीय रेल पुलिस थाना/चौकी, रेलवे सुरक्षा बल चौकी/पोस्ट स्थापित है। वैसे ही रेलो में ट्रेन गार्ड, टी टी ई, रेल सुपरिटेंडेट व रेलवे सुरक्षा बल, शासकीय रेलवे पुलिस की स्कोटिंग टीम मौजूद होती है। आज का युग डिजीटल ईंडिया का युग है जिससे मोबाइल 'एप' ट्वीटर व रेलवे सुरक्षा बल हेल्पलाईन नम्बर 182 व जोनल हेल्पलाईन नम्बर 97524–90777 और मलिाओं के लिये विशेष हेल्पलाईन नम्बर 18002332534 के माध्यम से महिलाओं के उपर हो रहे घृणित अपराध से बचा जा सकता है।

सुझाव

1. महिलाओं व लड़कियों को बढ़ते हुये जघन्य अपराधों को देखते हुए आत्म रक्षा की प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
2. महिलाओं व लड़कियों को अपने संकोची स्वभाव को छोड़कर स्वयं पर होने वाले किसी प्रकार की फब्तियां अपराधों कि शिकायत रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे गार्ड व टी टी ई से की जानी चाहिए।
3. महिलाओं व लड़कियों को हमेशा यात्रा के समय मंहगे आभूषणो के साथ सफर से बचना चाहिए।
4. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लांच मोबाईल "एप" की भी इस्तेमाल की जानकारी होनी चाहिए।
5. महिला सशक्तिकरण हेतू महिलाओं के साथ पुरूष वर्ग को भी अपने सोंच व मानसिकता में बदलाव लाना होगा।
6. भारतीय संविधान व मानव अधिकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिये विभिन्न कानूनो के द्वारा अधिकार व कुछ विशेषाधिकार प्रदान कि गई है उन अधिकारो के प्रति भी सचेत रहना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मिश्रा, प्रीती, 2001, हिन्दु महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व, आदित्य पब्लिशर्स बीना (म. प्र.)
2. राय, संतोष कुमार, अनुप कुमार, इक्कीसवी सदी में स्त्री–मुक्ति के प्रश्न, प्रकाश चन्द्र महाविद्यालय काकोर बुजुर्ग औरैया।
3. एन. प्रसाद, मालव व्यवहार तथा सामाजिक व्यवस्था, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी.
4. सहायक परिचालन प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर।
5. सियाराम, 2013, स्त्री विमर्श में विविध सन्दर्भ, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण .
6. पाण्डेय, रश्मि, नवीन सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य एवं महिलाएँ, अकबरपुर पी. जी. कॉलेज अकबरपुर कानपुर देहात.
7. होरा, 2006, आशा रानी, औरत कल आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण
8. मिश्र, अरूण कुमार, महिला सशक्तिकरण :विकास का आधार, शहीद सिहरण महाविद्यालय पिरौना (जालौन).
9. रेल मंत्रालय, 28 अप्रैल 2016 पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
10. रेल मंत्रालय, 26 अगस्त 2010 पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
11. स्वेत पत्र, 2015, भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा, भारत सरकार नई दिल्ली.
12. श्वेत पत्र, 2009, भारतीय रेल भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड).